रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 2018/चैत्र 10, 1940
No. 201] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 2018/CHAITRA 10, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2018

सा.का.नि. 314(अ).—जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीश के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत) और अन्य बनाम भारत संघ, रिट याचिका (सिविल) 494/2012 आदि (आधार मामलें) के मामले में दिनांक 13 मार्च, 2018 के अपने अंतरिम आदेश द्वारा मौजूदा बैंक खातों के साथ आधार को जोड़ने के लिए अंतिम तारीख 31.03.2018 से बढ़ाकर मामले के अंतिम न्यायनिर्णयन तक कर दिया है ।

धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियमावली, 2015 के नियम 9 के उप-नियम (17) के खंड (क) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतदद्वारा रिपोर्टकर्ता इकाई को ग्राहकों द्वारा आधार संख्या, और स्थायी खाता संख्या अथवा फार्म 60 जमा करने की तारीख को रिट याचिका (सिविल) 494/2012 आदि में अंतिम न्यायनिर्णयन होने के बाद तदनन्तर अधिसूचित किए जाने की तारीख तक बढ़ाती है ।

[अधिसूचना सं. 1/2018/फा. सं. पी.12011/24/2017-आर्थिक सुरक्षा प्रकोष्ठ-राजस्व विभाग]

मंदीप कौर, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2018

G.S.R. 314(E).—Whereas the Hon'ble Supreme Court, vide its interim order dated 13th March, 2018 in the case of Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) & Anr. V. Union of India, W.P. (Civil) 494/2012 etc. (Aadhaar Cases), has extended the last date for linking Aadhaar with existing bank accounts from 31.03.2018 till the final judgement of the case.

In pursuance of clause (a) and clause (c) of sub-rule (17) of rule 9 of the Prevention of Money Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, the Central Government hereby extends the date of submission of Aadhaar Number, and Permanent Account Number or Form 60 by the clients to the reporting entity till a date to be notified subsequent to pronouncement of final judgement in W.P. (C) 494/2012 etc.

[Notification No. 1/2018/F. No. P.12011/24/2017-ES Cell-DoR]

MANDEEP KAUR, Dy. Secy.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.03.31 16:10:02 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.